अध्याय 3 नामांकन, अद्यतन एवं प्रमाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र

3.1 नामांकन एवं अद्यतन पारिस्थितिकी तंत्र

देश का प्रत्येक निवासी अपनी जनसांख्यिकीय तथा बायोमेट्रिक सूचना प्रस्तुत करके आधार संख्या प्राप्त करने का पात्र है। यू आई डी ए आई द्वारा इस सूचना के सत्यापन के पश्चात् आधार नंबर निर्गत किए जाते हैं। यू आई डी ए आई, डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया के माध्यम से एक निवासी की पहचान की विशिष्टता की पुष्टि करता है, जहां प्रत्येक नए नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को अन्य लोगों के आधार डेटाबेस से मिलान करके यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदक पहले से नामांकित नहीं है। पहचान की विशिष्टता सिद्ध होने के पश्चात, एक 12-अंकीय यादृच्छिक संख्या उत्पन्न होती है एवं आवेदक को निर्गत की जाती है। यह विशिष्ट आजीवन संख्या किसी अन्य व्यक्ति को अभिहस्तांकित नहीं की जा सकती है। तथापि, सी आई डी आर में सूचना की अविच्छिन्नित सटीकता सुनिश्चित करने हेतु, आधारधारकों के जनसांख्यिकीय तथा बायोमेट्रिक विवरण को अद्यतन किया जा सकता है।

एक आधार संख्या इसके प्रमाणीकरण[11] होने की अवस्था में, विनिर्दिष्ट लाभ, सब्सिडी एवं सेवाओं, जिसके लिए व्यय की आपूर्ति भारत की संचित निधि/राज्य की संचित निधि से की जाती है, को प्राप्त करने के लिए आधार संख्या धारक की पहचान के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार की जाती है। तथापि, आधार अपने धारक को नागरिकता या अधिवास की प्रमाणिकता प्रदान नहीं करता है तथा यह मात्र पहचान का प्रमाण है।

"निवासी" की परिभाषा प्रमुख महत्व रखती है क्योंकि यह आधार संख्या की पात्रता के लिए बुनियादी योग्यता मानदंड निर्धारित करती है। अधिनियम के अनुसार, एक "निवासी", वह व्यक्ति है, जो नामांकन के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले के 12 महीनों में कुल मिलाकर 182 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए भारत में रहा हो।

नामांकन प्रक्रिया एक निवासी द्वारा नामांकन संस्था (ई ए) को अपनी जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक सूचना, नामांकनकर्ता की पहचान, जन्म तिथि तथा पता स्थापित करने के लिए निर्धारित सहायक प्रपत्रों के साथ, प्रस्तुत करने से प्रारंभ होती है। सूचना, आगे की प्रक्रिया एवं आधार संख्या उत्पन्न करने के लिए सीआईडीआर को प्रस्तुत की जाती है। यू आई डी ए आई ने आधार संख्या के नामांकन एवं अद्यतन के लिए निबंधक एवं ई ए से युक्त एक स्तरीय मॉडल अपनाया है। नामांकन के समय प्रदान की जाने वाली सूचना इस प्रकार है:

---

[11] प्रमाणीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें द्वारा किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमेट्रिक सूचना के साथ आधार संख्या को यूआईडीएआई के केंद्रीय पहचान डेटा संग्राहक को इसके सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाता है और वह संग्राहक उपलब्ध सूचना के आधार पर शुद्धता, या इसकी कमी की पुष्टि करता है।

जनसांख्यिकीय सूचना	नाम, सत्यापित जन्म तिथि या घोषित आयु, लिंग, पता, मोबाइल नंबर (वैकल्पिक) एवं ईमेल आई डी (वैकल्पिक), परिचयकर्ता-आधारित नामांकन के मामले में- परिचयकर्ता का नाम एवं परिचयकर्ता का आधार नंबर, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में- परिवार के मुखिया का नाम, संबंध एवं परिवार के मुखिया की आधार संख्या; बच्चे के नामांकन के मामले में- किसी एक पैत्रिक की नामांकन आईडी या आधार संख्या, संबंध का प्रमाणपत्र (पी ओ आर)।
बायोमेट्रिक सूचना	दस उंगलियों के निशान, दो आईरिस स्कैन एवं चेहरे की तस्वीर

निवासियों के लिए आधार नामांकन (एवं अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन) निःशुल्क किया जाता है। यद्यपि, सभी नामांकन एवं अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन के लिए यू आई डी ए आई, निबंधकों को समय-समय पर उनके द्वारा निर्धारित दरों पर भुगतान करता है [12]

नामांकन प्रक्रिया को चित्र **3.1** में दर्शाया गया है।

चित्र 3.1 नामांकन प्रक्रिया

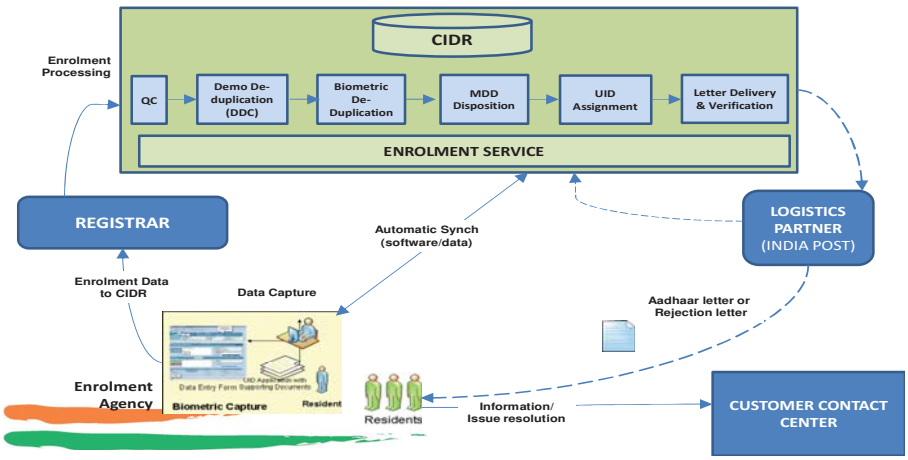

छवि सौजन्य: यू आई डी ए आई

3.1.1 प्रमुख विनियम एवं संशोधन

नामांकन एवं अद्यतन, आधार संरचना के केंद्र हैं। निबंधक एवं ई ए, जोकि नामांकन प्रक्रिया के लिए व्यक्तियों की जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक सूचना एकत्र करने के लिए उत्तरदायी

[12] आधार संख्या के सफल सृजन के परिणामस्वरूप प्रत्येक नामांकन की दर ₹100 निर्धारित की गई है, जो कि जनवरी 2019 से प्रभावी है। इसी तरह, सभी अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए यू आई डी ए आई जनवरी 2019 से रजिस्ट्रार को प्रति अनुरोध ₹100 का भुगतान करता है। यद्यपि, जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक सूचना के सभी स्वैच्छिक अपडेट के लिए, यू आई डी ए आई ने प्रति अनुरोध ₹50 (09 मई 2020 से स्वैच्छिक बायोमेट्रिक अपडेट के लिए प्रति अनुरोध वृद्धि करके ₹100) का शुल्क निर्धारित किया है तथा इसका भुगतान आधार संख्या धारक द्वारा किया जाना है।

हैं। इस पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटक हैं। यू आई डी ए आई द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने तथा आकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ई ए उत्तरदायी हैं। आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम 2016 तथा इसके संशोधन, इस पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। आधार नामांकन एवं अद्यतन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले प्रमुख विनियम एवं संशोधन **तालिका 3.1** में दिए गए हैं।

आधार-प्रणाली के आधार होने के कारण, यह महत्वपूर्ण है कि विनियम, आधार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप विधियों एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण करे तथा यू आई डी ए आई यह व्यवस्था स्थापित करे, जो यह सुनिश्चित करे कि उत्पादित आधार संख्याएं, अधिनियम में दी गई सभी विशेषताओं एवं गुणों को सन्तुष्ट करती हैं।

तालिका 3.1: आधार नामांकन एवं अद्यतन पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित करने वाले प्रमुख विनियम एवं इसके संशोधन

प्रमुख विनियम	प्रमुख विशेषताऐं
आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम 2016 (2016 की क्रम संख्या 02) **दिनांक 14 सितंबर 2016**	✓ निवासी नामांकन प्रक्रिया: आवश्यक बायोमेट्रिक तथा जनसांख्यिकीय सूचनायें, निबंधक की भूमिका, सूचना का संग्रह, उपकरण, नामांकन में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर आदि। ✓ आधार संख्या का सृजन, अस्वीकृति एवं वितरण। ✓ निवासी सूचना का अद्यतन: अनिवार्य अद्यतन, अद्यतन के तरीके, अद्यतन के लिए लिया जाने वाला सुविधा शुल्क ✓ निबंधकों, नामांकन संस्थाओं एवं अन्य सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति ✓ आधार संख्या की चूक या निष्क्रिय होना ✓ परिवाद निवारण तंत्र। ✓ नामांकन का प्रारूप/सुधार एवं अद्यतन प्रपत्र, प्रपत्रों की सूची (पी ओ आई, पी ओ ए, पी ओ आर, जन्म तिथि आदि), सेवा प्रदाताओं के लिए आचार संहिता
आधार (ई एंड यू)) (द्वितीय संशोधन) विनियम 2017 (2017 की क्रम संख्या 02) **दिनांक 07 जुलाई 2017**	✓ विनियम 12ए का परिवर्धन : कोई भी केंद्रीय या राज्य विभाग या संस्था जिसे किसी भी सब्सिडी, लाभ या सेवाओं की प्राप्ति के लिए प्रमाणीकरण या आधार के परिग्रह की आवश्यकता होती है, ऐसे को अपने परिसर में नामांकन केंद्र स्थापित करके व्यक्ति का नामांकन सुनिश्चित करे जो अभी तक या तो नामांकित नहीं है या फिर उसने अपना आधार विवरण का अद्यतन नहीं कराया है।
आधार (ई एंड यू)) (चतुर्थ संशोधन) विनियम 2017 (2017 की क्रम संख्या 5) **दिनांक 31 जुलाई 2017**	✓ निबंधक या नामांकन संस्था या किसी सेवा प्रदाता या किसी अन्य व्यक्ति की गतिविधियों का तत्काल निलंबन या वित्तीय निरुत्साहन या किसी भी विनियमन, प्रक्रिया, मानक, दिशानिर्देश या आदेश के उल्लंघन के लिए उन्हें निर्गत किए गए क्रेडेंशियल, कोड या अनुमति को निरस्त करना।

आधार (ई एंड यू)) (छठा संशोधन) विनियम 2018 (2018 की क्रम संख्या 02) दिनांक 31 जुलाई 2018	✓ अक्षम व्यक्ति की नई परिभाषा। ✓ निवासी की जन्म तिथि केवल एक बार अद्यतन की जा सकती है। यदि जन्मतिथि को एक से अधिक बार अद्यतन किया जाना है, तो यह केवल एक अपवाद प्रबंधन प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है जिसके लिए निवासी को यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) का दौरा करने की आवश्यकता हो सकती है। ✓ अद्यतन डेटा के सत्यापन में संशोधन, अवयस्कों के मामले में माता-पिता को सूचना का प्रकटीकरण / माता-पिता द्वारा हस्ताक्षरित प्रपत्र। ✓ पते का स्वीकार्य प्रमाण नहीं रखने वाले निवासियों के लिए आधार पता अद्यतन पिन सेवा का परिचय।
आधार (ई एंड यू)) (सातवां संशोधन) विनियम 2019 (2019 की क्रम संख्या 3) दिनांक 05 सितंबर 2019	✓ ई एंड यू विनियम, 2016 [विनियमन 10(2)] की अनुसूची II के अंतर्गत पी ओ आई, पी ओ ए, पी ओ आर एवं जन्म तिथि की सूची में वृद्धि

3.1.2 आधार नामांकन एवं अद्यतन की स्थिति

यू आई डी ए आई ने मार्च 2021 तक देश के निवासियों के लिए 129.04 करोड़ आधार संख्या सृजन किए थे, जो अनुमानित जनसंख्या का लगभग 94 प्रतिशत है। 2012-13 से 2020-21 के दौरान सृजन एवं अद्यतन किए गए आधार की संख्या क्रमशः **चार्ट 3.1** एवं **चार्ट 3.2** में दी गई है।

चार्ट 3.1: आधार सर्जनता (करोड़ में)

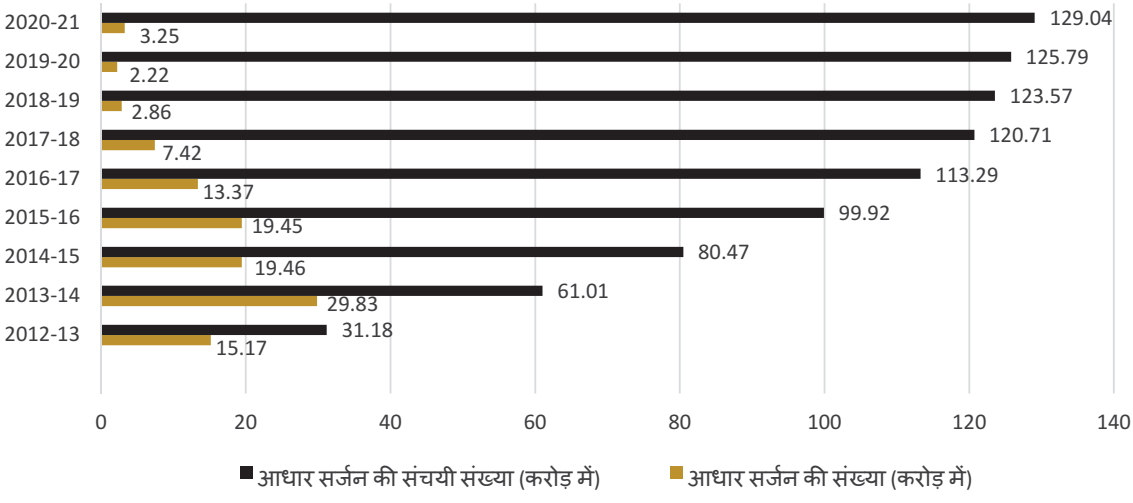

(डाटा सौजन्य: यू आई डी ए आई)

चार्ट 3.1 दर्शाता है कि 2013-14 में पिछले वर्ष की तुलना में आधार की वृद्धि 95.67 प्रतिशत थी एवं धीरे-धीरे यह 2017-18 के पश्चात् यह शीर्ष पर पहुंच गई, जब यह वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में तीन प्रतिशत से भी कम हो गई।

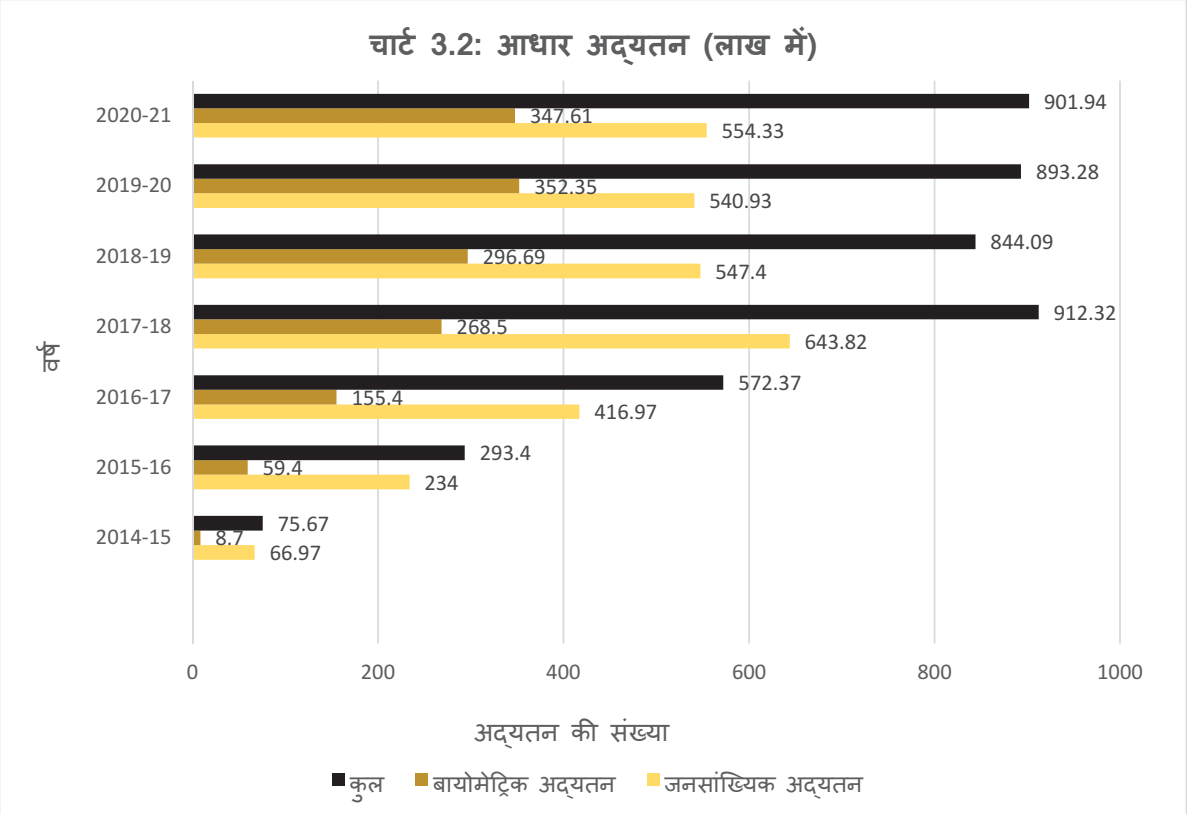

चार्ट 3.2 दर्शाता है कि 2015-16 के पश्चात् से आधार अद्यतन की वृद्धि में तेजी आई है। 2014-15 के अंत में स्थित अद्यतन 75.67 लाख, 2020-21 के अंत तक पांच वर्षों में लगभग 12 गुना होकर 901.94 लाख तक पहुंच गया।

3.1.3 आधार संतृप्ति स्थिति

आकृति 3.2 आधार संतृप्ति स्थिति

(31-03-2021)

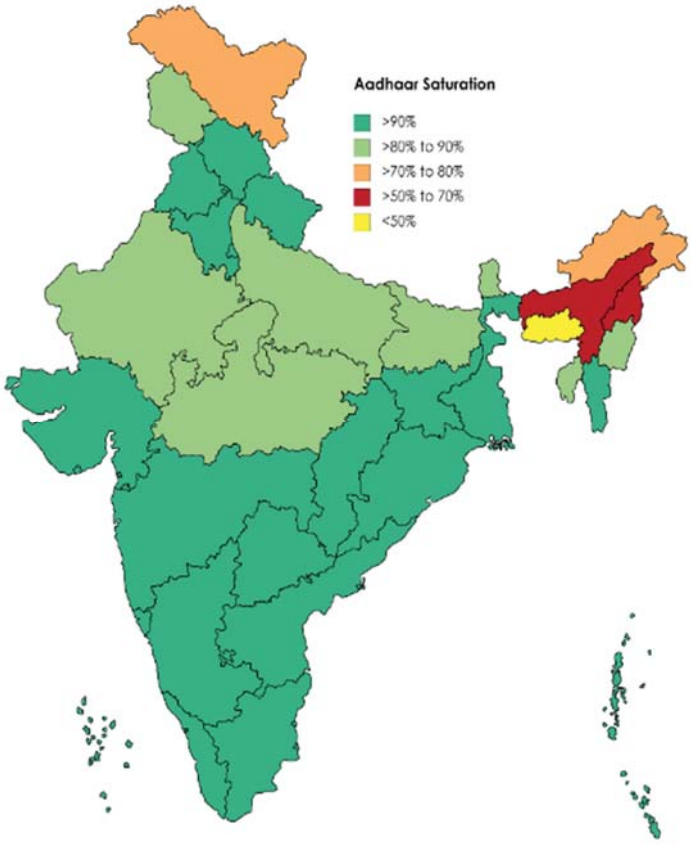

आकृति 3.2 31 मार्च 2021 तक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में आधार की संतृप्ति स्थिति को दर्शाती है । यू आई डी ए आई ने 31 मार्च 2021[13] तक 124.67 करोड़ (लाइव) से अधिक आधार निर्गत किए एवं तेईस (23) राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 90 प्रतिशत से अधिक संतृप्ति स्तर प्राप्त किया जबकि आठ राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 80 से 90 प्रतिशत की संतृप्ति थी। दो राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों (अरुणाचल प्रदेश एवं लद्दाख) में संतृप्ति स्तर 70 से 80 प्रतिशत के बीच है जबकि अन्य दो राज्यों (असम एवं नागालैंड) में संतृप्ति की स्थिति 50 प्रतिशत से ऊपर लेकिन 70 प्रतिशत से कम थी।

यद्यपि, एक राज्य (मेघालय) 50 प्रतिशत के संतृप्ति स्तर तक नहीं पहुंचा है । पूरे भारत में आधार निर्गत करने में कुल मिलाकर 91 प्रतिशत की संतृप्ति थी।

इस प्रकार, यू आई डी ए आई को आधार पात्र निवासियों को नामांकित करने एवं उन राज्यों में जिन्होंने 90 प्रतिशत मानदंड प्राप्त नहीं किया है, नामांकन बढ़ाने के अपने प्रयासों को जारी रखने की आवश्यकता है।

3.1.4 आधार पारिस्थितिकी तंत्र के घटक

प्रमाणीकरण से नामांकन तक, आधार कार्ड मुद्रण से अंतरण तक एवं ग्राहक सहायता में सम्मिलित पारिस्थितिकी तंत्र के बाह्य एवं आंतरिक विभिन्न घटकों को **आकृति 3.3** में दर्शाया गया है।

[13] स्त्रोतः यू आई डी ए आई की आधार संतृप्ति रिपोर्ट 31 मार्च 2021 तक

आकृति 3.3: आधार पारिस्थितिकी तंत्र

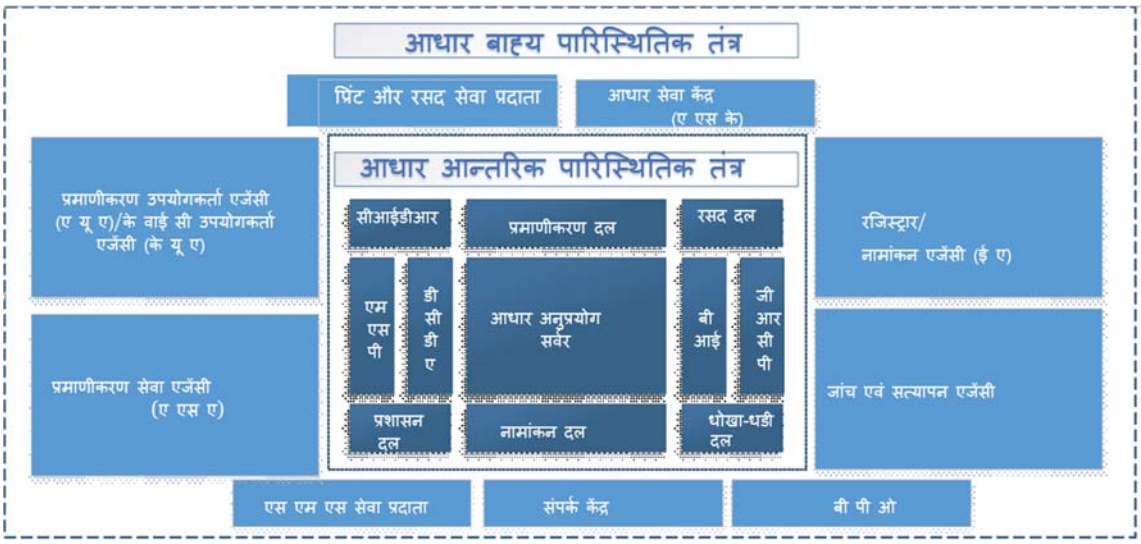

3.1.5 डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया

यू आई डी ए आई ने डुप्लीकेट नामांकन की पहचान के लिए दो चरणों वाली प्रक्रिया अपनाई है। पहले चरण में, जनसांख्यिकीय डेटा का मिलान किया जाता है एवं दूसरे चरण में आधार डेटाबेस में नामांकित अन्य सभी के डेटाबेस के साथ फिंगरप्रिंट एवं आईरिस का बायोमेट्रिक मिलान डुप्लिकेट की पहचान करने एवं नामांकित व्यक्ति की विशिष्टता स्थापित करने के लिए किया जाता है। डी-डुप्लीकेशन चरण में सफल प्रक्रिया के बाद, एक 12-अंकीय आधार संख्या उत्पन्न होती है जिसे यू आई डी ए आई के लॉजिस्टिक्स पार्टनर इंडिया पोस्ट के माध्यम से निवासी को सूचित किया जाता है। जिन निवासियों ने नामांकन के दौरान अपना मोबाइल नंबर प्रस्तुत किया है, वे ई-आधार[14] डाउनलोड भी कर सकते हैं।

यू आई डी ए आई ने स्वचालित बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली (ए बी आई एस) प्रदान करने के लिए तीन वेंडरों के साथ अनुबंध किया है। इन वेंडरों का चयन प्रबंधित सेवा प्रदाताओं (एम एस पी) द्वारा किया गया था। यदि एक ए बी आई एस एक डुप्लिकेट की पहचान करता है, तो यह सटीकता बढ़ाने के लिए दूसरे ए बी आई एस द्वारा सत्यापन के अधीन होगा। इसके अतिरिक्त, यू आई डी ए आई की एक भौतिक न्यायनिर्णयन प्रणाली भी है जहां पहचान किए गए डुप्लीकेट्स की अस्वीकृति से पहले एक अन्य सत्यापन होता है। यू आई डी ए आई नामांकन के समय एक निवासी द्वारा प्रस्तुत जनसांख्यिकीय डेटा में त्रुटियों की पहचान करने के लिए जनसांख्यिकीय डी-डुप्लीकेशन भी करता है।

---

[14] ई-आधार, आधार पत्र का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है जिसे यू आई डी ए आई की वेबसाइट के ई-आधार पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। निवासी, ई-आधार को पी डी एफ प्रारूप में https://eaadhaar.uidai.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वे या तो नामांकन के समय प्राप्त 28 अंकों की नामांकन संख्या अथवा 12 अंकों की आधार संख्या का उपयोग कर सकते हैं।

दिनांक 31 मार्च 2019 तक यू आई डी ए आई द्वारा किए गए डी-डुप्लीकेशन का विवरण नीचे दिए गए हैं:

अ. बायोमेट्रिक निवासी

बायोमेट्रिक द्वारा उत्पन्न आधार डी-डुप्लीकेशन के माध्यम से

(i) ए बी आई एस: 111,11,40,041

(ii) भौतिक डी-डुप्लीकेशन: 89,45,010

ब. गैर-बायोमीट्रिक निवासी:

बायोमेट्रिक के बिना उत्पन्न आधार

(i) पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चे: 11,48,27,267

(ii) 100 प्रतिशत बायोमेट्रिक अपवाद श्रेणी वाले निवासी: 5,69,196

बड़ी संख्या में किये गए डी-डुप्लीकेशन एवं अवस्यक बच्चों को निर्गत आधार के प्रकरणों पर प्रतिवेदन में टिप्पणी की गई है।

3.1.6 बायो-मीट्रिक उपकरण प्रमाणन

मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन (एस टी क्यू सी) निदेशालय, जो एम ई आई टी वाई का एक सम्बद्ध-कार्यालय है, यू आई डी ए आई के लिए नामांकन एवं प्रमाणीकरण उपकरणों की आवश्यकताओं के लिए विनिर्देशों के साथ-साथ प्रमाणन गतिविधि को पूरा करने के लिए नियुक्त नोडल संस्था है।

3.1.7 अनुबंधित सेवा प्रदाता

यू आई डी ए आई के संपूर्ण प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे का प्रबंधन, जिसमे डेटा सेंटर संचालन, यू आई डी ए आई के क्षेत्रीय कार्यालयों के आई टी सिस्टम का प्रबंधन, तकनीकी हेल्पडेस्क आदि सम्मिलित हैं, अनुबंधित सेवा प्रदाता (एम एस पी) अर्थात मेसर्स एच सी एल इंफोसिस्टम्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। रुचि की अभिव्यक्ति एवं प्रस्ताव के लिए अनुरोध पद्धति से अगस्त 2012 में सात वर्ष की अवधि के लिए एम एस पी नियुक्त किया गया था। वर्तमान में (मार्च 2021), एम एस पी विस्तार अवधि के अंतर्गत कार्य कर रहा है। एमएसपी के साथ अनुबंध का कुल मूल्य ₹1,978.62 करोड़ था।

3.1.8 शासन जोखिम अनुपालन एवं निष्पादन - सेवा प्रदाता

सरकारी जोखिम अनुपालन एवं निष्पादन - सेवा प्रदाता (जी आर सी पी-एस पी), यू आई डी ए आई की ओर से एक स्वतंत्र निगरानी संस्था है, जिसे यू आई डी ए आई पारिस्थितिकी तंत्र के अनुपालन एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा नियोजित किया गया

है। जी आर सी पी-एस पी की भूमिका यू आई डी ए आई को दृश्यता, प्रभावशीलता एवं नियंत्रण के संदर्भ में संचालित करने के लिए एक मजबूत, व्यापक, सुरक्षित वातावरण के निर्माण की सुविधा प्रदान करना है (बाह्य संस्थाओं सहित जैसे निबंधक, नामांकन एजेंसियां, आधार सेवा केंद्र, ए एस ए, ए यू ए/ के यू ए/ उप-के यू ए, संपर्क केंद्र, एस एम एस सेवा प्रदाता एवं तार्किक सेवा प्रदाता इत्यादि)।

सभी अनुबंधों की सेवा स्तर की निगरानी जी आर सी पी-एस पी के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, जो यू आई डी ए आई को वित्तीय नियंत्रण रखने में मदद करता है। भुगतान से संबंधित सभी डेटा जी आर सी पी लेखापरीक्षा के अधीन हैं एवं उनके प्रतिवेदन के आधार पर भुगतान की प्रक्रिया की जाती है।

3.2 आधार नामांकन पारिस्थितिकी पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां

आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों की तुलना में आधार नामांकन पर लेखापरीक्षा अवलोकन अनुवर्ती पैराग्राफों में दिए गए हैं:

3.2.1 आवेदकों की 'निवासी' स्थिति का सत्यापन

यू आई डी ए आई ने आधार नामांकन के समय निवासियों द्वारा उनकी 'निवासी' स्थिति के संबंध में की गई स्व-घोषणा पर विश्वास किया एवं इस प्रकार निवासी या अनिवासी की स्थिति असत्यापित रही।

आधार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, देश का प्रत्येक निवासी नामांकन की प्रक्रिया से गुजरते हुए अपनी जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक सूचना प्रस्तुत करके आधार संख्या प्राप्त करने का अधिकारी है। अधिनियम के अनुसार एक "निवासी" वह व्यक्ति है, जो नामांकन के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले के 12 महीनों में कुल मिलाकर 182 दिनों या उससे अधिक की अवधि या अवधियों तक भारत में रहा है। **"निवासी"** की परिभाषा आधार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पूरी की जाने वाली बुनियादी पात्रता मानदंड निर्धारित करती है।

आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम 2016 प्रपत्रों की प्रकृति को निर्धारित करता है, जो एक निवासी को पहचान के प्रमाण (पी ओ आई), पते के प्रमाण (पी ओ ए), जन्म तिथि (डी ओ बी), संबंध के प्रमाण (पी ओ आर) आदि के रूप में ई ए को प्रस्तुत करना चाहिए। जब भी कोई निवासी नामांकन/ सुधार/ अद्यतन के लिए आवेदन करता है, तो उसे आवासीय स्थिति पर टिक करने के साथ-साथ स्वयं के जनसांख्यिकीय विवरण वाले एक मानक फॉर्म को भरना होता है।

यद्यपि, यह नोट किया गया था कि यू आई डी ए आई ने निवासी के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए "निवासी" प्रावधान की पुष्टि के लिए विनियमन में कोई प्रमाण/ प्रपत्र निर्दिष्ट नहीं किया था। आवेदक के साक्ष्य की सत्यता की जांच के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। इस प्रकार यू आई डी ए आई ने निवासियों की पहचान करने की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई प्रणाली नहीं बनाई थी। लेखापरीक्षा का विचार है कि निवास की स्थिति का सत्यापन न करने से गैर-वास्तविक निवासियों को आधार निर्गत किया जा सकता है।

यू आई डी ए आई ने कहा (सितंबर 2019) कि पहचान, पता, जन्म तिथि आदि के समर्थन में व्यक्तिगत आवेदकों द्वारा प्रदान किए गए प्रपत्रों की वैधता नामांकन के दौरान पुष्टि की जाती है एवं धोखाधड़ी के रूप में प्रदर्शित होने वाले प्रकरणों को आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार निस्तारित किया जाता है। यू आई डी ए आई (अक्टूबर 2020) ने जोर देकर कहा कि निर्धारित प्रपत्रों के साथ स्व-घोषणा आवेदकों की निवासी स्थिति का पता लगाने का एकमात्र व्यावहारिक साधन था। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर यू आई डी ए आई के उत्तरों के साथ सहमति व्यक्त की (जून 2021)।

यू आई डी ए आई/ एम ई आई टी वाई के उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम 2016 केवल आधार संख्या के सृजन के पश्चात् ही धोखाधड़ी के प्रकरणों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहता है, जबकि यहां प्रकरण आवेदक की आवासीय स्थिति का पता लगाने के लिए पूर्व जांच करने का है जो कि आधार अधिनियम 2016 में प्रदत्त आधार निर्गत करने की एक प्रतिबंध है। यू आई डी ए आई को अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के आधार पर निवास की स्थिति के सत्यापन की एक व्यावहारिक प्रणाली का पता लगाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए एक निवासी की परिभाषा की समीक्षा ने इस तथ्य के प्रकाश में अधिक महत्व प्राप्त किया है कि एक वैध भारतीय पासपोर्ट रखने वाले अनिवासी भारतीय भी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 20 सितंबर 2019 के अनुसार भारत में आने के पश्चात् 182 दिनों के निवास मानदंड की उपेक्षा करके आधार संख्या के अधिकारी थे।

अनुशंसा: ***आधार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप आवेदकों के निवास की स्थिति की पुष्टि एवं प्रमाणित करने के लिए यू आई डी ए आई स्व-घोषणा के अतिरिक्त एक प्रक्रिया एवं आवश्यक प्रपत्रीकरण निर्धारित कर सकता है।***

3.2.2 एकाधिक आधार का निर्माण

कई आधार संख्याएं सृजन हेतु डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया भेद्य बनी रही एवं समस्या का निस्तारण करने के लिए मैन्युअल हस्तक्षेप करना पड़ा।

डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि सृजित आधार संख्या अद्वितीय है एवं यू आई डी ए आई डेटाबेस में अभिलेखों के साथ नामांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत एकत्र की गई निवासी की जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक सूचना की तुलना करके उसी निवासी को कोई दूसरा नंबर नहीं सौंपा गया है। यह भी सुनिश्चित करता है कि पहले से निर्दिष्ट आधार संख्या वाले डेटा का उपयोग किसी अन्य निवासी को नया नंबर बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है।

यू आई डी ए आई तकनीकी केंद्र द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, नवंबर 2019 तक लगभग 4.75 लाख डुप्लिकेट आधार नंबर निरस्त कर दिए गए थे। इस डेटा ने संकेत दिया कि 2010 के पश्चात् से नौ वर्षों की अवधि के दौरान प्रत्येक दिन सृजित कम से कम 145 आधार डुप्लिकेट नंबर थे जिनके निरस्तीकरण की आवश्यकता दी।

इसके अतिरिक्त, यू आई डी ए आई क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु में अभिलेखों की जांच से पता चला कि 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान निवासियों ने कई आधार निर्गत किये जाने के 5,388[15] प्रकरणों की सूचना दी, जिसने प्राप्त शिकायतों के आधार पर यू आई डी ए आई को निर्गत किए गए दूसरे आधार को निरस्त करने के लिए बाध्य किया। हम अन्य क्षेत्रीय कार्यालय पर रिपोर्ट किए गए कई आधारों की संख्या का पता नहीं लगा सके क्योंकि हमें संबंधित प्रपत्रों तक पहुंच नहीं दी गई थी। यू आई डी ए आई मुख्यालय भी कई आधारों की संख्या पर क्षेत्रीय कार्यालय वार डेटा प्रदान नहीं कर सका एवं कहा (सितंबर 2019) कि ऐसा डेटा उनके पास उपलब्ध नहीं है। एक ही निवासी को कई आधार निर्गत करने के अतिरिक्त, अलग-अलग निवासियों को एक ही बायोमेट्रिक डेटा के साथ आधार निर्गत करने के प्रकरण भी आर ओ बेंगलुरु में सूचित देखे गए।

इसके अतिरिक्त, पहले आधार के निर्गत होने की तिथि, पश्चात् के आधारों को निर्गत करने की तिथि एवं उन्हें पहचानने एवं निरस्त करने में लगने वाले समय जैसी सूचना भी लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई जिसने इस प्रकरण पर आगे की जांच के लिए हमारे क्षेत्र को सीमित कर दिया।

यू आई डी ए आई ने कहा (सितंबर 2019) कि बायोमेट्रिक डी-डुप्लीकेशन 99.9 प्रतिशत की सटीकता के साथ विशिष्टता सुनिश्चित करता है, लेकिन ऐसे प्रकरणों में जहां दोषित बायोमेट्रिक्स के साथ निवासी नामांकन करते हैं, उनकी सटीकता थोड़ी दोषित हो सकती है

---

[15] रिपोर्ट किए गए मल्टीपल आधार के कुल 5,388 मामलों में वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के अंतर्गत क्रमशः 1,131, 2,339, 330, 860 और 728 प्रकरण सम्मिलित हैं।

जिससे कई आधारों का निर्माण हो सकता है। यह भी बताया गया कि यू आई डी ए आई ने डुप्लिकेट आधारों की पहचान करने एवं सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतः-शोधन प्रणाली (एक स्वचालित प्रक्रिया) नियोजित की है। यद्यपि, जुलाई 2020 तक स्वतः-शोधन प्रणाली के परिनियोजन की आवृत्ति, प्रक्रिया के माध्यम से पता लगाए गए डुप्लिकेट की संख्या आदि पर कोई विवरण नहीं दिया गया। इस तथ्य नें कि 2018-19 के दौरान निवासियों ने अकेले बेंगलुरु आर ओ में कई आधारों के 860 प्रकरणों की सूचना दी, सुझाव दिया कि यू आई डी ए आई द्वारा नियोजित स्वतः-शुद्दता प्रणाली, कमियों का पता लगाने एवं उन्हें रोकने में पर्याप्त प्रभावी नहीं थी। यद्यपि रिपोर्ट किए गए प्रकरणों की संख्या को सृजित आधारों की कुल संख्या के साथ तुलना करने पर नाममात्र का कहा जा सकता है।

यू आई डी ए आई ने बाद में, (अक्टूबर 2020) डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया के माध्यम से एक वास्तविक व्यक्ति को आधार से वंचित करने की स्थिति में लागू "श्वेतसूचीकरण प्रक्रिया" के बारे में बताया। इसने तीन बायोमेट्रिक सेवा प्रदाताओं (बी एस पी) में से प्रत्येक के लिए स्वतंत्र रूप से सेवा स्तर समझौते (एस एल ए) एवं नए अनुबंधों में अन्य एस एल ए मापदंडों यथा एफ एन आई आर ए[16], आक्रमण प्रस्तुति वर्गीकरण त्रुटि दर आदि को सम्मिलित करने के पश्चात डुप्लिकेट एवं धोखाधड़ी नामांकन का पता लगाने में महत्वपूर्ण सुधार का दावा किया। यू आई डी ए आई ने यह भी बताया कि "आत्मनिर्भरता" प्राप्त करने के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करने हेतु बायोमेट्रिक के क्षेत्र में आई आई आई टी, हैदराबाद के साथ एक परियोजना चल रही थी। एम ई आई टी वाई ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर यू आई डी ए आई के उत्तरों से सहमति व्यक्त की (जून 2021)।

यह स्पष्ट है कि यू आई डी ए आई को कई आधारों के निर्माण के बारे में पता था जो उनके ध्यान में लाए जाने तक अज्ञात/ लुप्त थे। यह भी नोट किया गया कि निवासियों को विशिष्ट पहचान का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए, यू आई डी ए आई ने उन प्रकरणों में मैनुअल डी-डुप्लीकेशन (एम डी डी) प्रक्रियाओं का भी सहारा लिया है जहां बी.एस.पी. द्वारा बायोमेट्रिक डेटा को अस्वीकार कर दिया गया था। एम डी डी के माध्यम से डुप्लीकेट आधार को निरस्त करना या आधार बनाना यू आई डी ए आई द्वारा नियुक्त बी.एस.पी. के प्रचालन में कमियों का संकेत देता है। डी-डुप्लीकेशन में विफलता के परिणामतः आधार से अस्वीकृति पीड़ित निवासियों के लिए श्वेतसूची प्रक्रिया को लागू करके अस्वीकृत किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, यू आई डी ए आई/ एम ई आई टी वाई को अद्वितीय बायोमेट्रिक डेटा लेने के लिए पूर्ण सुरक्षित तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। यू आई डी ए आई को स्वचालित बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली (ऑटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम) को भी मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि प्रारंभिक चरण में ही कई आधारों के निर्माण पर अंकुश लगाया जा सके।

---

[16] एफ एन आई आर ए: विषम मिलानों के लिए मिथ्या नकारात्मक पहचान दर

अनुशंसा: ***यू आई डी ए आई बायोमेट्रिक सेवा प्रदाताओं (बी एस पी) के एसएलए मापदंडों को कड़ा कर सकता है, अद्वितीय बायोमेट्रिक डेटा लेने के लिए पूर्ण सुरक्षित तंत्र विकसित कर सकता है एवं उनकी निगरानी प्रणाली में सुधार कर सकता है ताकि वे पहचान कर सकें एवं कई / डुप्लिकेट सृजित आधार संख्या को कम से कम करने हेतु सक्रिय रूप से कदम उठा सकें। यू आई डी ए आई प्रौद्योगिकी के नियमित अद्यतनीकरण की भी समीक्षा कर सकता है। यू आई डी ए आई को स्वचालित बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली को भी मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि प्रारंभिक चरण में ही एकाधिक/डुप्लिकेट आधारों के निर्माण पर अंकुश लगाया जा सके।***

3.2.3 पांच वर्ष से कम आयु के अवस्यक बच्चों के आधार के लिए नामांकन

पहचान की विशिष्टता जो आधार की विशिष्ट विशेषताओं में से एक है, पांच वर्ष से कम आयु के अवस्यक बच्चों को आधार निर्गत करते समय सुनिश्चित नहीं की गयी थी।

आधार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, देश में प्रत्येक निवासी नामांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में अपनी जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक सूचना प्रस्तुत करके आधार संख्या प्राप्त करने का अधिकारी है। यद्यपि, आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम 2016 के अनुसार, पांच वर्ष से कम आयु के अवस्यक बच्चों के सन्दर्भ में आधार बनाने के लिए बायोमेट्रिक्स को नहीं लिया जाता है। उनके यू आई डी को इस विनियम की धारा 5 (1) के अनुसार माता-पिता में से किसी एक का यू आई डी के साथ सम्बद्ध कर जनसांख्यिकीय सूचना एवं मुख के चित्र के आधार पर तैयार किया जाता है। इन बच्चों को पश्चात् में अपने बायोमेट्रिक्स (दस अंगुलियों, आईरिस एवं मुख के चित्र) को अद्यतन करने की आवश्यकता होती है, जब वे पांच वर्ष के हो जाते हैं एवं फिर पंद्रह वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं।

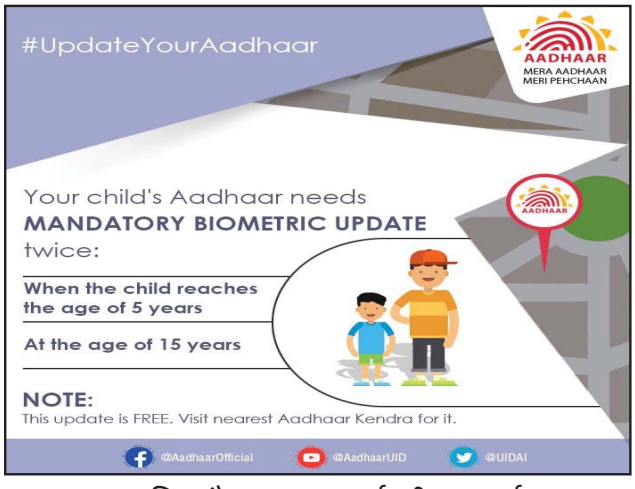

(छवि सौजन्य: यू आई डी ए आई)

यू आई डी ए आई विनियम कहते हैं कि यदि कोई बच्चा पांच या पंद्रह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, एवं ऐसी आयु प्राप्त करने के दो वर्ष के भीतर अपनी बायोमेट्रिक सूचना को अद्यनित करने में विफल रहता है, तो उसका आधार नंबर निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ऐसे प्रकरणों में जहां निष्क्रिय करने के एक वर्ष की समाप्ति पर इस प्रकार के अद्यतन को नहीं किया जाएगा तो आधार नंबर को हटा दिया जाएगा।

पुन:, यू आई डी ए आई ने अधिसूचित किया (सितंबर 2018) कि यदि एक बच्चे के रूप में नामांकित आधार धारक की वर्तमान आयु 15 वर्ष से अधिक हो गई है और यदि उसके बायोमेट्रिक्स अद्यनित नहीं किए गए हैं तो ऐसे आधार को निरस्त कर दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि चूंकि यू आई डी ए आई आधार बनाने के लिए पांच वर्ष से कम आयु के अवस्यक बच्चों के बायोमेट्रिक्स को नहीं लेता है, आधार निर्गत करने का मूल प्रावधान यथा पहचान की विशिष्टता पूरी नहीं हो रही थी। उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, यू आई डी ए आई ने मार्च 2019 तक पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लगभग 11.48 करोड़ आधार तैयार किए थे। निबंधक/ नामांकन संस्थाओं को नामांकन के लिए ₹27 प्रति बच्चे की दर से संबंधित लागत के साथ ₹310 करोड़ की सहायता प्रदान की गई।

यू आई डी ए आई ने सूचित किया, कि उन्होंने 01 नवंबर 2019 तक बायोमेट्रिक अद्यतन के अभाव में लगभग 40.91 लाख आधार को निष्क्रिय कर दिया था। संतृप्ति स्तर में वृद्धि के साथ, इस बात की हमेशा संभावना बनी रहती है कि जिन बच्चों के आधार को निष्क्रिय कर दिया गया है, जैसा कि उपर उल्लिखित किया गया है, उन्होंने बाद में पांच वर्ष की आयु पार कर लेने के पश्चात् अपने बायोमेट्रिक्स के साथ स्वयं को नए सिरे से नामांकित किया होगा।

(छवि सौजन्य: यू आई डी ए आई)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर[17], किसी भी बच्चे को जिसे कोई आधार संख्या नहीं दी गई है, कोई सब्सिडी, लाभ या सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है, हमारा विचार है कि पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से रहित कार्ड निर्गत करने से सम्मिलित लागतों को देखते हुए सीमित उद्देश्य पूर्ण हुआ।

यू आई डी ए आई ने कहा (जून 2020) कि बच्चों सहित सभी निवासियों को आधार संख्या निर्गत करना अनिवार्य है। भले ही, बच्चों के बायोमेट्रिक्स एकत्र नहीं किए जाते हैं, लेकिन माता-पिता के प्रमाणीकरण के आधार पर बच्चे का आधार निर्गत किया जाता है। आगे कहा गया कि बायोमेट्रिक डेटा के अभाव में भी डुप्लीकेट आधार के निर्माण की संभावना बहुत कम

[17] रिट याचिका (सिविल) 2012 की संख्या 494 पर सुप्रीम कोर्ट की पंच पीठ का निर्णय दिनांक 26 सितंबर, 2018 एवं सम्बद्ध प्रकरण।

थी, एवं प्राप्त/ रिपोर्ट की गई डुप्लिकेट संख्याओं की संख्या नगण्य थी। उन्होंने दावा किया कि एक बच्चे को पहचान निर्गत करने से राजकोष के लिए मौद्रिक बचत हुई चूंकि इससे अपात्र लाभार्थियों को हटाने में सहायता मिली, और इसलिए यह लाभदायक था। उनका विचार था कि व्यय की गई लागत नगण्य थी।

अपने अनुवर्ती उत्तर (अक्टूबर 2020) में, यू आई डी ए आई ने स्वीकार किया कि जनसांख्यिकीय डेटा एवं छायाचित्र के आधार पर किया गया डी-डुप्लीकेशन स्वचालित बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली (ए बी आई एस) जितना मजबूत नहीं हो सकता है। वे उन सभी माता-पिता/ अभिभावकों को एस एम एस एवं पत्र निर्गत करते हैं जिनके बच्चे आधार पारिस्थितिकी तंत्र में वापस लाने के लिए अनिवार्य अद्यतन के उपयुक्त थे। एम ई आई टी वाई ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर यू आई डी ए आई के उत्तरों से सहमति व्यक्त की (जून 2021)।

हमारा विचार है कि यू आई डी ए आई का अधिदेश एक निवासी को उसके बायोमेट्रिक्स के माध्यम से आवेदक की विशिष्टता स्थापित करने के पश्चात् आधार संख्या निर्गत करना है। इसलिए, बायोमेट्रिक डेटा के बिना बच्चों को आधार संख्या निर्गत करना धारक की विशिष्टता स्थापित करने के मानदंडों को पूरा नहीं करता तथा इसे बच्चों सहित सभी निवासियों को आई डी निर्गत करने के अधिदेश के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसके अतिरिक्त, आधार पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, आधार संख्या के अभाव में किसी बच्चे को किसी भी सब्सिडी, लाभ या सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है।

पांच वर्ष से कम आयु के अवस्यक बच्चों को उनकी विशिष्ट पहचान लिए बिना, बाल आधार निर्गत करना यू आई डी ए आई द्वारा सुझाए गए अगणित लाभों के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। तथ्य यह है कि एक व्यक्ति को पांच वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् नियमित आधार कार्ड के लिए दो चरणों में आवेदन करना आवश्यक है, यू आई डी ए आई को पांच वर्ष से कम आयु के अवस्यक बच्चों के लिए गैर-अनिवार्य आधार के प्रकरण की समीक्षा करने की आवश्यकता है। वे इसके अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, पांच वर्ष से कम आयु के अवस्यक बच्चों की विशिष्ट पहचान प्राप्त करने की वैकल्पिक प्रणाली का पता लगा सकते हैं।

अनुशंसा: ***यू आई डी ए आई पांच वर्ष से कम आयु के अवस्यक बच्चों के लिए बायोमेट्रिक पहचान की विशिष्टता प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक उपायों का पता लगा सकता है क्योंकि व्यक्ति के बायोमेट्रिक्स के माध्यम से स्थापित पहचान की अद्वितीयता आधार की सबसे विशिष्ट विशेषता है।***

3.2.4 आधार प्रपत्रों का प्रबंधन

यू आई डी ए आई डेटाबेस में संग्रहीत सभी आधार नंबर निवासी की जनसांख्यिकीय सूचना पर प्रपत्रों के साथ समर्थित नहीं थे, जिससे कारण 2016 से पूर्व यू आई डी ए आई द्वारा एकत्र एवं संग्रहीत निवासी के डेटा की शुद्धता एवं पूर्णता के बारे में संदेह रहा।

जुलाई 2016 तक, आधार दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (ए डी एम एस) मैसर्स हेवलेट पैकार्ड सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एच पी) का उत्तरदायित्व था कि वह नामांकन के समय व्यक्तियों द्वारा प्रदान किए गए अभिलेखों के भौतिक सेट को इलेक्ट्रॉनिक के साथ-साथ भौतिक रूप, दोनों में सुरक्षित विधि से संग्रहीत करे। नामांकन/ अद्यतन के दौरान नामांकन संस्थाओं (ई ए) द्वारा एकत्र किए गए अभिलेख[18] स्कैनिंग एवं एक पोर्टल में अपलोड करने के लिए ई ए से ए डी एम एस संस्था द्वारा नियमित रूप से लिए गए थे। जुलाई 2016 से प्रभावी ए डी एम एस संस्था द्वारा प्रपत्रों के लेने को समाप्त करने के लिए यू आई डी ए आई ने जून 2017 में निवासियों के प्रपत्रों[19] की इनलाइन स्कैनिंग[20] अनिवार्य कर दी।

चूंकि किए गए नामांकनों एवं निबंधकों/ ई ए द्वारा डी एम एस संस्था को प्रस्तुत प्रपत्रों में महत्वपूर्ण अंतरालों को देखा गया था, यू आई डी ए आई (दिसंबर 2015) ने डी एम एस संस्था, तकनीकी केंद्र, आर ओ एवं निबंधकों/ ई ए द्वारा अनुपालन के लिए अंतराल को कम करने एवं लुप्त प्रपत्रों के पुनर्निर्माण के उद्देश्य से निर्देशों का एक सेट निर्गत किया। तदनुसार, तकनीकी केंद्र को डी एम एस संस्था से प्राप्त नामांकन पहचान (ई आई डी[21]) की सूची की तुलना करनी थी एवं ऐसे ई आई डी की राज्य/ निबंधक/ ई ए वार सूची तैयार करनी थी जिसके सापेक्ष आधार बनाया गया था लेकिन संस्था द्वारा तैयार डेटा लुप्त था। पंजीयकों को तकनीकी केंद्र से लुप्त प्रपत्रों के संग्रह के संबंध में प्राप्त सूचना को अपने ई ए को अग्रेषित करना था। आर ओ को अपनी बारी में, डेटा के पुनर्निर्माण के लिए निबंधकों/ ई ए का मार्गदर्शन करना था एवं उनके क्रियाकलापों की निगरानी करनी थी। आर ओ को पुनर्निर्माण की आवश्यकता वाले ई आई डी की संख्या, ई आई डी की संख्या जिनका पुनर्निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं ई आई डी की संख्या जिसके लिए पुनर्निर्माण पूर्ण नहीं किया गया है, को दर्शाते हुए मासिक प्रगति प्रतिवेदन (राज्य/ निबंधक/ ई ए वार) यू आई डी ए आई मुख्यालय को प्रस्तुत करना था।

---

[18] नामांकन/अद्यतन प्रपत्र की प्रति के साथ पहचान के प्रमाण, पते के प्रमाण, जन्म तिथि या संबंध आदि के प्रमाण के रूप में निवासियों से एकत्र किए गए नामांकन पहचान अभिलेख।

[19] पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण, जन्म तिथि या संबध आदि का प्रमाण

[20] इनलाइन स्कैनिंग वह प्रक्रिया है जहां नामांकन/अपडेट के समय मूल प्रपत्रों को स्कैन किया जाता है और नामांकन/अपडेट फॉर्म के साथ सीआईडीआर में अपलोड किया जाता है और इसलिए ऑपरेटरों द्वारा कोई भौतिक प्रति नहीं रखी जाती है।

[21] ईआईडी- का अर्थ नामांकन के समय निवासियों को आवंटित 28 अंकों की नामांकन पहचान संख्या है।

इन निर्देशों ने आगे यह सुझाया कि यू आई डी ए आई डेटाबेस में संग्रहीत समस्त आधार संख्या निवासी की जनसांख्यिकीय सूचना पर प्रपत्रों से समर्थित नहीं थे जो यू आई डी ए आई द्वारा एकत्र एवं संग्रहीत निवासी के डेटा की शुद्धता एवं पूर्णता पर प्रश्न उठाते हैं।

ई आई डी की संख्या का डाटा जिसके सापेक्ष आधार बनाया गया है, लेकिन प्रपत्र लुप्त थे एवं लुप्त प्रपत्रों की प्रकृति के साथ उनके पुनर्निर्माण की स्थिति पर डेटा यू आई डी ए आई से मांगा गया था। यू आई डी ए आई ने सूचित किया (जून 2020) कि एम एस पी (प्रबंधित सेवा प्रदाता) को ई आई डी-यू आई डी लिंकेज को मैप करने का उत्तरदायित्व दिया गया था जिसके लिए सॉफ्टवेयर का विकास प्रगति पर था। यह भी बताया गया कि 01 जुलाई 2016 से प्रभावी, नामांकन एवं अद्यतन पैकेट के साथ इनलाइन स्कैनिंग एवं व्यक्तिगत पहचान वाली सूचना (पी आई आई) प्रपत्रों के अपलोड को अनिवार्य बना दिया गया है एवं इसलिए 01 जुलाई 2016 के पश्चात् बनाए गए एवं अद्यतित सभी नए आधार संख्या को माना जाता है कि उनके पी आई आई प्रपत्र हैं। आगे कहा गया था कि चूंकि निवासियों द्वारा आधार संख्या का अद्यतन एक नियमित गतिविधि है, पी आई आई प्रपत्रों का पुनर्निर्माण एक सतत प्रक्रिया थी एवं निबंधकों एवं ई ए से एकत्र किए गए प्रपत्रों को अपलोड/मिलान किया जा रहा है। पी आई आई प्रपत्रों की कमी की यथार्थ स्थिति को नहीं निकाला गया।

यू आई डी ए आई की प्रतिक्रिया ने सुझाव दिया कि सभी आवश्यक प्रपत्रों की उपलब्धता की पुष्टि किए बिना नामांकन किए गए थे। यू आई डी ए आई ने, इस तथ्य से अवगत होने के पश्चात् भी सभी आधार संख्याओं को उनके धारकों की व्यक्तिगत सूचना के साथ सम्बद्ध नहीं किया, अभी तक बेमेल की सही सीमा की पहचान करना शेष था, जबकि पहले आधार को निर्गत किए लगभग दस वर्ष व्ययतीत हो चुके हैं। जनसांख्यिकीय सूचना के साथ सिस्टम में बायोमेट्रिक डेटा को सम्बद्ध नहीं किया जाना यू आई डी ए आई द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप नहीं था एवं प्राधिकरण के पास पी आई आई प्रपत्रों की अनुपलब्धता, जो पहले से ही निवासियों से एकत्र किए गए थे, आधार डेटाबेस की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त, आधार निर्गत करने के पश्चात् यू आई डी ए आई द्वारा जनसांख्यिकीय डेटा की किसी भी गुणवत्ता जांच इन आधार संख्याओं को निष्क्रिय करा सकती है जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया गया है। तथ्य यह है कि, 01 नवंबर 2019 तक, 37,551 आधार नंबर विवादित पी आई आई प्रपत्रों के कारण निष्क्रिय कर दिये गये थे।

इसलिए, यू आई डी ए आई, सम्बद्ध किए गए पी आई आई प्रपत्रों के अभाव में आधार के निलंबन/निष्क्रिय होने के कारण आधार धारक को किसी भी कानूनी जटिलता या असुविधा से बचाने के लिए यथाशीघ्र सक्रिय कदम उठाकर लुप्त प्रपत्रों की पहचान कर उन्हें पूर्ण कर सकता है।

यू आई डी ए आई ने लेखापरीक्षा की अनुशंसा से सहमति (अक्टूबर 2020) जताई एवं आधार धारकों को होने वाली परिहार्य असुविधा के बिना प्रपत्रीकरण में अंतराल को समाप्त करने की

संभावना ढूंढने का आश्वासन दिया। एम ई आई टी वाई ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर यू आई डी ए आई के उत्तरों से सहमति व्यक्त की (जून 2021)।

अनुशंसा: ***यू आई डी ए आई, 2016 से पूर्व निर्गत किए गए आधार धारकों को किसी भी कानूनी जटिलता या असुविधा से बचाने के उद्देश्य से अपने डेटाबेस में लुप्त प्रपत्रों की पहचान करने एवं पूर्ण करने के लिए यथाशीघ्र सक्रिय कदम उठा सकता है।***

3.3 आधार अद्यतन पारिस्थितिकी तंत्र पर लेखापरीक्षा अवलोकन

आधार अद्यतन पारिस्थितिकी तंत्र पर लेखापरीक्षा अवलोकन नीचे दिए गए हैं:

3.3.1 स्वैच्छिक बॉयोमीट्रिक अद्यतन

स्वैच्छिक बायोमेट्रिक अद्यतन की अधिक संख्या ने नामांकन के अंतर्गत बायोमेट्रिक प्रग्रहण में कमी का संकेत दिया, जिसके परिणामस्वरूप प्रमाणीकरण विफल हो गया परिणामत: निवासियों को अपने बायोमेट्रिक्स का अद्यतन करना पड़ा।

बायोमेट्रिक अद्यतन दो श्रेणियों में आते हैं, यथा अनिवार्य अद्यतन एवं स्वैच्छिक अद्यतन।

अ. अनिवार्य अद्यतन साधारणतया निम्नलिखित स्थितियों में उत्पन्न होते हैं:

क. प्रारंभिक नामांकन के समय पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे को पांच वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बायोमेट्रिक सूचना प्रदान करनी होती है एवं इस प्रारंभिक प्रग्रहण को मौजूदा आधार के अनिवार्य अद्यतन के रूप में माना जाता है।

ख. नामांकन के समय पांच से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को 15 वर्ष के होने पर अद्यतन के लिए सभी बायोमेट्रिक्स प्रस्तुत करना होता है।

ब. स्वैच्छिक अद्यतन निम्नलिखित स्थितियों में उत्पन्न होते हैं:

क. नामांकन के समय 15 वर्ष से अधिक आयु - निवासियों को हर दस वर्ष में अपने बायोमेट्रिक डेटा को अद्यतन करने की संस्तुति की जाती है।

ख. बायोमेट्रिक अपवाद की ओर ले जाने वाली घटनाएं यथा दुर्घटनायें या रुग्णता|

ग. प्रमाणीकरण विफलताओं से उत्पन्न होने वाले बायोमेट्रिक अद्यतन (त्रुटिपूर्ण अस्वीकृति -जहां वैध आधार संख्या के साथ एक निवासी के प्रमाणीकरण प्रयासों को अस्वीकार कर दिया जाता है) जो नामांकन के समय त्रुटिपूर्ण बायोमेट्रिक प्रग्रहण या दोषित बायोमेट्रिक गुणवत्ता के परिणामस्वरूप होते हैं।

निवासियों के लिए अनिवार्य अद्यतन निःशुल्क हैं जबकि स्वैच्छिक अद्यतन यू आई डी ए आई द्वारा निर्धारित दरों पर निवासियों के लिए प्रभार योग्य हैं।

वर्ष 2018-19 के लिए बायोमेट्रिक अद्यतन के डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 2018-19 के दौरान यू आई डी ए आई ने 3.04 करोड़ बायोमेट्रिक्स डेटा का सफलतापूर्वक अद्यतन किया। सफल अद्यतनों में से 0.81 करोड़ (26.55 प्रतिशत) अनिवार्य थे एवं शेष 2.23 करोड़ (73.45 प्रतिशत) स्वैच्छिक अद्यतन थे।

यू आई डी ए आई के अनुसार, बायोमेट्रिक अद्यतन की आवश्यकता प्रमाणीकरण विफलताओं के कारण बढ़ सकती है (जिसे "त्रुटिपूर्ण अस्वीकार" कहा जाता है - जहां एक वैध आधार संख्या के साथ एक सही निवासी को गलत तरीके से निस्तारित कर दिया जाता है), जो कि नामांकन के समय गलत बायोमेट्रिक प्रग्रहण या दोषित बायोमेट्रिक गुणवत्ता के कारण उत्पन्न हुआ। इस प्रकार, स्वैच्छिक बायोमेट्रिक अद्यतन के इस उच्च प्रतिशत ने प्रमाणीकरण विफलताओं में उच्च दर की ओर संकेत किया, जो आधार संख्या धारकों को अपने बायोमेट्रिक्स को अद्यतन करने के लिए बाध्य करता है। यह आधार संख्या धारक की विशिष्टता को स्थापित करने के लिए सी आई डी आर में संग्रहीत बायोमेट्रिक डेटा की गुणवत्ता को भी दर्शाता था। यह देखा गया कि यू आई डी ए आई बायोमेट्रिक प्रग्रहण में कमी के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं लेता है एवं बायोमेट्रिक अद्यतन करने का उत्तरदायित्व आधार संख्या धारकों पर डाल दिया जाता है एवं उन्हें इस प्रकार के अद्यतन के लिए भुगतान भी करना होता है।

यू आई डी ए आई ने सूचित किया (जुलाई 2020) कि प्रमाणीकरण विफलताओं के कारणों का पता लगाना या पृष्ठभूमि में बायोमेट्रिक्स को त्रुटिपूर्ण/ दोषित गुणवत्ता वाला घोषित करना संभव नहीं था। यद्यपि, इस बात की पुष्टि की गई कि नामांकन के समय बायोमेट्रिक प्रग्रहण की दोषित गुणवत्ता, प्रमाणीकरण के समय उंगली का अनुचित स्थापन, त्रुटियुक्त आधार संख्या प्रविष्ट करना एवं मशीन की गुणवत्ता के प्रकरणों जैसे कारणों से बायोमेट्रिक बेमेल हो सकता है। यू आई डी ए आई ने यह भी कहा कि नामांकन के लिए स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार, बायोमेट्रिक डेटा को प्रग्रहण करने के चार असफल प्रयासों के पश्चात, ऑपरेटर दोषित गुणवत्ता वाले बायोमेट्रिक्स के साथ "फोर्स्ड कैप्चर" के माध्यम से नामांकन पूर्ण कर सकते हैं। यह बताया गया कि आधार कार्यक्रम में निवासियों की समावेशिता में सुधार के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया गया था।

यू आई डी ए आई (अक्टूबर 2020) ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों के साथ सहमति व्यक्त की एवं बताया कि अधिकांश प्रमाणीकरण उंगलियों के निशान पर आधारित थे जो वयस्कों में उनकी नौकरी के प्रकार के आधार पर समय के साथ परिवर्तित होते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रमाणीकरण की दो अन्य प्रणालियों जैसे "आइरिस" एवं "चेहरे" का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन आईरिस जांच के लिए उपकरण, उंगलियों के निशान प्रमाणीकरण उपकरणों की तुलना में अधिक महंगे एवं आईरिस जांच के लिए तकनीकी रूप से प्रमाणित उपकरणों को सम्मिलित करने के प्रयास जारी है। यह भी कहा गया कि उनके द्वारा अपने पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारों से आईरिस प्रमाणीकरण उपकरणों को नियोजित करने का अनुरोध किया जा रहा था। यू आई

डी ए आई ने मुख प्रमाणीकरण के लिए एक मॉडल भी विकसित किया था जो परीक्षण के चरण में था, एवं इसने उंगलियों के चिन्ह प्रमाणीकरण में आने वाली कमियों को दूर करने के लिए प्रमाणीकरण के सभी तीनों साधनों का उपयोग करने की योजना बनाई थी। एम ई आई टी वाई (जून 2021) द्वारा भी लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर यू आई डी ए आई के उत्तरों से सहमति व्यक्त की गई।

बायोमेट्रिक्स प्रग्रहण करने में सुधार के लिए यू आई डी ए आई द्वारा की गई/ प्रस्तावित कार्यवाही को देखते हुए, हमारा विचार है कि नामांकन के समय दोषपूर्ण गुणवत्ता वाले बायोमेट्रिक्स की स्वीकृति से पता चलता है कि यू आई डी ए आई ने सी आई डी आर में सम्मिलित बायोमेट्रिक डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जो कि आधार संख्या धारक की विशिष्टता स्थापित करने के कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के अंतर्गत नामांकन का विस्तार करने के तर्क पर दोषपूर्ण गुणवत्ता वाले बायोमेट्रिक्स की स्वीकृति एवं फिर आधार धारकों को बायोमेट्रिक्स अद्यतन हेतु देय शुल्क का बोझ देना उचित नहीं लगता। चूंकि यू आई डी ए आई बायोमेट्रिक्स के प्रमाणीकरण विफलताओं के कारणों की पहचान करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए यह अनुभव किया गया है कि निवासियों से उनके बायोमेट्रिक्स के स्वैच्छिक अद्यतन के लिए शुल्क लेना उचित नहीं था, जबकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी।

अनुशंसा: ***यू आई डी ए आई निवासियों के बायोमेट्रिक्स के स्वैच्छिक अद्यतन के लिए शुल्क वसूलने की समीक्षा कर सकता है, क्योंकि वे (यू आई डी ए आई) बायोमेट्रिक विफलताओं के कारणों की पहचान करने की स्थिति में नहीं थे तथा दोषपूर्ण गुणवत्ता वाले बायोमेट्रिक्स प्रग्रहण में निवासियों का कोई दोष नहीं था।***

3.4 आधार प्रमाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र

आधार सक्षम सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं यू आई डी ए आई की प्रमाणीकरण सेवाओं का लाभ उठा सकती हैं। प्रमाणीकरण सुविधा हां/नहीं प्रतिक्रिया या ई-केवाईसी डेटा प्रदान करके आधार संख्या धारक की पहचान सूचना के सत्यापन की अनुमति देती है।

प्रमाणीकरण सेवाएं इसके डेटा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन एवं वास्तविक समय के आधार पर एवं निम्नलिखित प्रारूपों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं:

अ. जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण: प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत आधार संख्या एवं जनसांख्यिकीय डेटा का सी आई डी आर में संदर्भित डेटा से मिलान किया जाता है।

ब. वन टाइम पिन (ओटीपी) आधारित प्रमाणीकरण: प्राधिकरण के साथ पंजीकृत आधार धारक के मोबाइल नंबर या ई-मेल पते पर ओटीपी भेजा जाता है एवं आधार संख्या एवं ओटीपी का यू आई डी ए आई द्वारा भेजे गए ओटीपी से मिलान किया जाता है।

स. बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण: आधार धारक द्वारा प्रस्तुत की गई आधार संख्या एवं बायोमेट्रिक सूचना का मिलान सी आई डी आर में संग्रहीत उक्त आधार संख्या के बायोमेट्रिक डेटा से किया जाता है।

द. बहु-कारक प्रमाणीकरण: उपरोक्त दो या अधिक साधनों का संयोजन।

3.4.1 आधार प्रमाणीकरण भागीदार

प्रमाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य सहयोगी प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसियां (ए यू ए[22])/ ई-केवाईसी उपयोगकर्ता संस्था[23][(के यू ए) या अनुरोध करने वाली इकाई (आर ई)[24] एवं प्रमाणीकरण सेवा एजेंसियां[25] (ए एस ए) हैं। अनुरोध करने वाली संस्था प्रमाणीकरण के लिए सी आई डी आर को आधार संख्या एवं जनसांख्यिकीय सूचना या किसी व्यक्ति की बायोमेट्रिक सूचना ए एस ए के माध्यम से प्रस्तुत करती है। प्रमाणीकरण हेतु अनुरोध करने वाली इकाई को समर्थ करने के लिए संयोजकता एवं संबंधित सेवाओं के लिए आधारभूत तंत्र ए एस ए द्वारा प्रदान किया जाता है। 31 मार्च 2021 तक 164 ए यू ए, 162 के यू ए एवं 22 ए एस ए सक्रिय थे। आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया को **आकृति 3.4** में दर्शाया गया है।

---

[22] अनुरोध करने वाली संस्थायें, जिन्हे प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसी (ए यू ए) कहा जाता है, के माध्यम से यू आई डी ए आई हां/नहीं प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान करता है। ए यू ए भारत में पंजीकृत कोई भी सरकारी/सार्वजनिक कानूनी इकाई है जो निवासियों/ग्राहकों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करती है। एक ए यू ए एक ए एस ए के माध्यम से यू आई डी ए आई डाटा सेंटर/ केंद्रीय पहचान डेटा संग्रह (सी आई डी आर) से जुड़ा है।

[23] के यू ए एक अनुरोध करने वाली इकाई है, जो ए यू ए होने के अतिरिक्त, ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करती है।

[24] अनुरोध करने वाली संस्थाएं प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसियां (ए यू ए) एवं ई-केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसियां (के यू ए) हैं।

[25] ए एस ए एक एजेंसी है जिसने सी आई डी आर के साथ लीज लाइन कनेक्टिविटी प्राप्त की है। वे सी आई डी आर के साथ स्थापित सुरक्षित संयोजन के माध्यम से मध्यवार्तियों को सक्षम बनाने की भूमिका निभाते हैं। ए एस ए, ए यू ए के प्रमाणीकरण अनुरोधों को सी आई डी आर को सूचित करते हैं एवं सी आई डी आर की प्रतिक्रिया को ए यू ए को वापस सूचित करते हैं।

आकृति 3.4: आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया

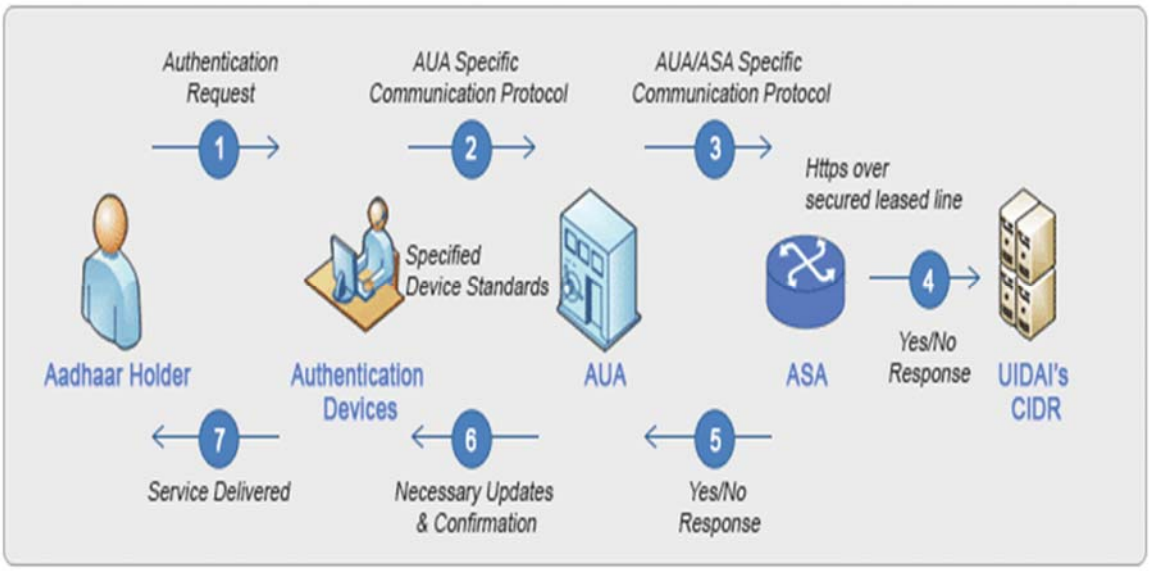

(छवि सौजन्य: यू आई डी ए आई)

3.4.2 प्रमुख विनियम एवं संशोधन

आधार प्रमाणीकरण से संबंधित प्रमुख नियम **तालिका 3.2** में दिए गए हैं।

तालिका 3.2: आधार प्रमाणीकरण प्रणाली को नियंत्रित करने वाले प्रमुख विनियम एवं संशोधन।

प्रमुख विनियम	प्रमुख विशेषताऐं
आधार (प्रमाणीकरण) विनियम 2016 (2016 की संख्या 03) **दिनांक 14 सितंबर 2016**	✓ **प्रमाणीकरण ढांचा: -** प्रमाणीकरण के प्रकार / विधियाँ, बायोमेट्रिक सूचना को प्रग्रहण करना, धारक की सहमति/अधिसूचना, उपकरण, उपयोग किया गया क्लाइंट आवेदन, बायोमेट्रिक संरक्षण आदि। ✓ **अनुरोध करने वाली संस्थाओं एवं प्रमाणीकरण सेवा संस्थाओं की नियुक्ति-** (प्रक्रियाएं, पात्रता मानदंड, भूमिका एवं जिम्मेदारियां, दायित्व, आचार संहिता, लॉग का रखरखाव, लेखापरीक्षा, डेटा सुरक्षा, अभ्यर्पण, देनदारी चूक आदि के प्रकरण में कार्रवाई) ✓ **हां/नहीं एवं ई-केवाईसी प्रमाणीकरण का उपयोग** ✓ **प्रमाणीकरण लेनदेन डेटा एवं उसके अभिलेखों** - लेनदेन डेटा का भंडारण एवं अनुरक्षण, भंडारण की अवधि, आधार धारक द्वारा एक्सेस
आधार (आधार प्रमाणीकरण	✓ आधार प्रमाणीकरण सेवाओं के लिए प्रत्येक ई-केवाईसी लेनदेन के लिए ₹20 की दर से शुल्क (करों सहित) एवं संस्थाओं से अनुरोध

सेवाओं के मूल्य निर्धारण) विनियम 2019 **दिनांक 06 मार्च 2019**	करने वाले प्रत्येक हां/नहीं प्रमाणीकरण लेनदेन के लिए @ ₹0.50 की दर से लिया जाएगा। ✓ सरकारी संस्थाओं एवं डाक विभाग को छूट एवं आधार नामांकन एवं अद्यतन सुविधाओं में लगे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को प्रतिबंधात्मक छूट

3.4.3 प्रमाणीकरण लेनदेन की स्थिति

आधार प्रमाणीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सी आई डी आर, उसके पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, सत्यापन के लिए जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक सूचना के साथ प्रस्तुत की गई आधार संख्या की शुद्धता की पुष्टि करता है। यू आई डी ए आई दो प्रकार की प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान करता है, "हाँ/ नही[26] "प्रमाणीकरण सुविधा एवं "ई-केवाईसी[27]''आधार का उपयोग करके प्रमाणीकरण सुविधा।

मार्च 2021 तक, यू आई डी ए आई ने 5,400 करोड़ से अधिक प्रमाणीकरण लेनदेन एवं 900 करोड़ से अधिक ई-केवाईसी लेनदेन किए हैं। वर्षवार प्रमाणीकरण एवं ई-केवाईसी लेनदेन **चार्ट 3.3** के अनुसार हैं।

---

[26] "हां/नहीं" प्रमाणीकरण: यू आई डी ए आई ने फरवरी 2012 में हां/नहीं प्रमाणीकरण सुविधा प्रारंभ की जिसके अंतर्गत अनुरोध करने वाली संस्था आधार एवं आवश्यक जनसांख्यिकीय तथा/या ओटीपी तथा/या आधार संख्या धारक की बायोमेट्रिक सूचना एन्क्रिप्टेड प्रारूप में प्रेषित करती है। यू आई डी ए आई सी आई डी आर में संग्रहीत डेटा के सापेक्ष इनपुट पैरामीटर को मान्य करता है एवं 'हां या नहीं' प्रतिक्रिया में प्रमाणित करता है।

[27] ई-केवाईसी प्रमाणीकरण: यू आई डी ए आई ने मई 2013 में ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा प्रारंभ की जिसके अनुसार अनुरोध करने वाली संस्था आधार संख्या धारक से एन्क्रिप्टेड प्रारूप में आधार एवं आवश्यक बायोमेट्रिक सूचना तथा /या ओटीपी प्रेषित करती है। यू आई डी ए आई सी आई डी आर में संग्रहीत डेटा के सापेक्ष इनपुट पैरामीटर को मान्य करता है तथा एक एन्क्रिप्टेड डिजिटली हस्ताक्षरित ई-केवाईसी के रूप में प्रमाणीकरण प्रतिक्रिया देता है।

चार्ट 3.3: प्रमाणीकरण व ई-केवाईसी लेनदेन (करोड़ में)

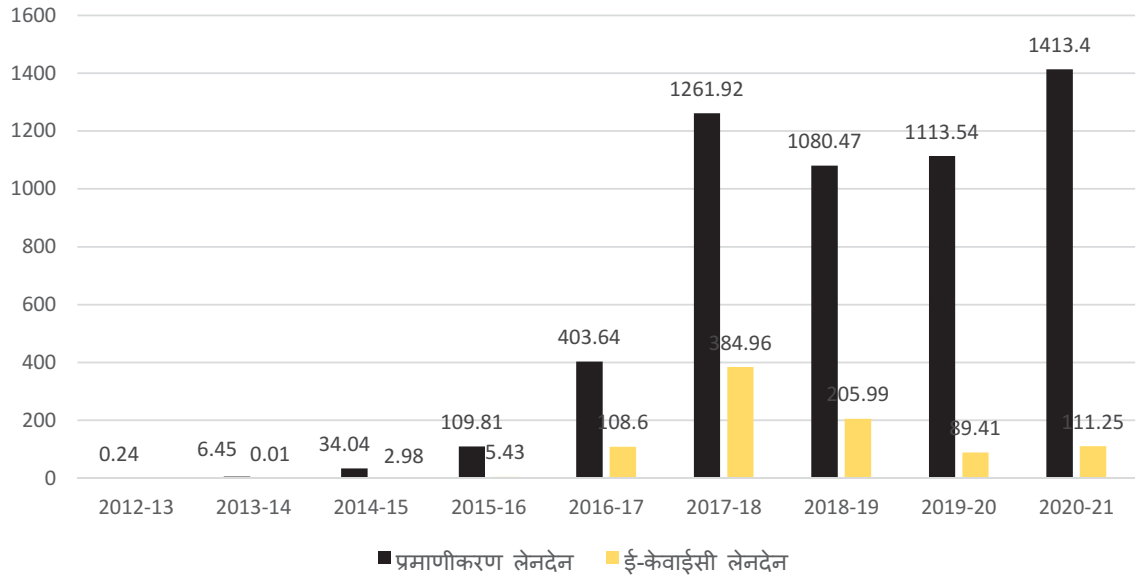

3.5 आधार (प्रमाणीकरण) विनियम 2016 के प्रावधानों के अनुपालन पर पारिस्थितिकी तंत्र साझीदारों की निगरानी पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां

आधार प्रमाणीकरण ढांचे में आर ई एवं ए एस ए सम्मिलित हैं। ये संस्थाएं सत्यापन उद्देश्यों के लिए आधार धारक की बायोमेट्रिक सूचना एकत्र करती हैं। आधार संख्या धारकों एवं यू आई डी ए आई के साथ उनकी अंतर्क्रिया डिजिटल मोड के माध्यम से होती है। आधार (प्रमाणीकरण) विनियम 2016 एवं समय-समय पर अधिसूचित यू आई डी ए आई के अन्य निर्देशों में उन व्यवस्थाओं पर निर्देश समाहित हैं जिनका प्रमाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित सभी संस्थाओं को निवासियों के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पालन करना चाहिए। विनियमन पारिस्थितिकी तंत्र साझीदारों यथा ए एस ए, ए यू ए, के यू ए आदि द्वारा इसके निर्देशों के साथ ई-अनुपालन की निगरानी में यू आई डी ए आई के उत्तरदायित्व को निर्दिष्ट करता है।

आर ई एवं ए एस ए की क्रियाकलापों की निगरानी के लिए यू आई डी ए आई द्वारा विनियमों के प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों को अनुवर्ती पैराग्राफों में दिया गया है।

3.5.1 प्रमाणीकरण त्रुटियों की घटनाएं

आधार की सफल प्रमाणीकरण के माध्यम से आधार संख्या धारकों को सब्सिडी, लाभ एवं सेवाओं के एक सुशासन, कुशल, पारदर्शी एवं लक्षित वितरण के रूप में प्रदान करने के लिए कल्पना की गई थी। फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण लेनदेन की सफलता दर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफलताओं के कारण उपयोगकर्ताओं के बीच असंतोष का कारण बनी रही।

यू आई डी ए आई की प्रमाणीकरण सेवाएं सरकारी विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों से विभिन्न लाभों के प्राप्तकर्ताओं की वास्तविकता की पुष्टि करने के लिए विश्वास किया जाने वाला एक साधन है। इसलिए त्रुटिपूर्ण प्रमाणीकरण, सेवाओं एवं लाभों के प्रभावी वितरण के लिए परिणामी निहितार्थों के साथ पहचान में त्रुटियों को जन्म देगा। इसके अतिरिक्त, प्रमाणीकरण त्रुटियां आधार संख्या धारक को अपना बायोमेट्रिक डेटा अद्यतन करने के लिए बाध्य करती हैं। भारत सरकार के प्रतिवेदन[28] के अनुसार कुछ राज्यों में आधार प्रमाणीकरण विफलताएं 2016-17 में 49 प्रतिशत तक पहुंच गई थीं।

प्रमाणीकरण त्रुटियों के विषय पर, यू आई डी ए आई ने सूचित किया (जुलाई 2020) कि उसे प्रमाणीकरण के दौरान स्थान/ अवस्थिति डेटा प्राप्त नहीं होता है, एवं प्रमाणीकरण विफलताओं पर राज्य-वार सूचना के अभाव में इसके कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया है।

यू आई डी ए आई ने आगे बताया (अक्टूबर 2020) कि विभिन्न कारणों से प्रथम प्रयास में फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण में विफलता हो सकती है, लेकिन अनुवर्ती प्रयास सफल हो सकते हैं। यह दावा किया कि लेनदेन वार फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण सफलता की दर में सुधार हुआ था जो कि 2016-17 में 70-72 प्रतिशत से 2019-20 में 74-76 प्रतिशत हो गया। इसने उल्लेख किया कि संयोजकता प्रकरणों को संबोधित करने के लिए, आर ई को बफर प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई थी एवं इसके अतिरिक्त, पायलट आधार पर आईरिस प्रमाणीकरण को बढ़ावा देने एवं फेस प्रमाणीकरण को प्रारंभ करने के प्रयास चल रहे थे। एम ई आई टी वाई ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर यू आई डी ए आई के उत्तरों से सहमति व्यक्त की (जून 2021)।

---

[28] वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 (संदर्भ 9.76): "जबकि आधार कवरेज की गति अनुकरणीय रही है, एक अरब से अधिक आधार कार्ड वितरित किए जा रहे हैं, कुछ राज्य प्रमाणीकरण विफलताओं को सूचित करते हैं: अनुमानों में विफलता दर, झारखंड के लिए 49 प्रतिशत, गुजरात के लिए छह प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के लिए पांच प्रतिशत एवं राजस्थान के लिए 37 प्रतिशत, सम्मिलित हैं।"

छवि 3.1: प्रमाणीकरण सफलता की निदर्शी छवि। छवि सौजन्य: www.basunivesh.com

यद्यपि फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के कई कारण हो सकते हैं, जिनमे प्रमाणीकरण के लिए कई प्रयासों की आवश्यकता होती है, परिणामतः बार-बार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफलताओं से आधार धारकों में असंतोष हो सकता है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के अन्य रूपों के बढ़ावा या प्रारम्भ करने से लेनदेन की सफलता दर में सुधार हो सकता है लेकिन उनके निष्पादन का अभी तक बड़े पैमाने पर परीक्षण नहीं किया गया है।

साथ ही लेखापरीक्षा को कोई आधार प्रदान नहीं किया गया है जिस पर यू आई डी ए आई ने यहां उल्लिखित सफलता दर को विफलता दर में सुधार के रूप में दावा किया है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि चूंकि आधार एक उपकरण के रूप में प्रमाणीकरण के माध्यम से सुशासन की सुविधा प्रदान करता है, यू आई डी ए आई प्रमाणीकरण की सफलता दर में सुधार करने के प्रयास कर सकता है एवं विफलता के प्रकरणों का विश्लेषण करने के लिए भी कार्रवाई कर सकता है।

अनुशंसा: ***यू आई डी ए आई विफलता के प्रकरणों का विश्लेषण करके प्रमाणीकरण लेनदेन की सफलता दर में सुधार के प्रयास कर सकता है।***

3.5.2 अनुरोध करने वाली संस्थाओं एवं प्रमाणीकरण सेवा संस्थाओं के आधारभूत तंत्र व तकनीकी समर्थन का सत्यापन न करना।

यू आई डी ए आई ने आधार प्रमाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र में संस्थाओं को सम्मिलित करने से पहले आर ई एवं ए एस ए द्वारा दावा किए गए आधारभूत तंत्र एवं तकनीकी समर्थन को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया था।

आधार (प्रमाणीकरण) विनियम 2016 निर्धारित करता है कि आर ई एवं ए एस ए बनने की इच्छुक संस्थाओं को यू आई डी ए आई द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करना चाहिए। आधार (प्रमाणीकरण) विनियम के नियम 12 में आर ई एवं ए एस ए की नियुक्ति के लिए प्रतिबंधों का विवरण दिया गया है। विनियम यू आई डी ए आई को आवेदनों के अनुमोदन से पूर्व आवेदकों द्वारा उनकी पात्रता के समर्थन में प्रस्तुत सूचना को प्रपत्रों, आधारभूत तंत्र एवं तकनीकी समर्थन के भौतिक सत्यापन माध्यम से सत्यापित करने के लिए अधिकृत करता है।

इस संदर्भ में, आर ई के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदकों द्वारा दावा किए गए आधारभूत तंत्र एवं तकनीकी समर्थन के भौतिक सत्यापन के लिए सिस्टम पर डेटा एवं आर ई की नियुक्ति से पूर्व आर ई के आधारभूत तंत्र एवं तकनीकी प्रणालियों के किये गए लेखापरीक्षा का विवरण यू आई डी ए आई से मांगा गया था (जुलाई 2019)। प्रत्युत्तर में यू आई डी ए आई ने सूचित किया (जून 2020) कि उन्होंने अब तक आवेदकों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उनके आधारभूत तंत्र एवं तकनीकी प्रणालियों का भौतिक सत्यापन करने की आवश्यकता अनुभव नहीं की थी। आगे यह भी बताया गया कि आर ई को पूर्व-उत्पादन से उत्पादन परिवेश में जाने के दौरान सी ई आर टी-इन पैनल में सम्मिलित लेखापरीक्षक से आईएस लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, जिसकी यू आई डी ए आई द्वारा जांच की गई थी।

मार्च 2021 तक, 326 आर ई (164 ए यू ए एवं 162 के यू ए) एवं 22 ए एस ए सी आई डी आर के उत्पादन परिवेश में सक्रिय थे। इन 326 आर ई में से 43 ए यू ए एवं 41 के यू ए सरकारी संस्थाएं थीं जबकि 22 ए एस ए में से 12 ए एस ए सरकारी संस्थाएं थीं। इसके अतिरिक्त मार्च 2021 तक पूर्व-उत्पादन परिवेश में छह सरकारी आर ई (तीन ए यू ए एवं तीन के यू ए) एवं 44 गैर -सरकारी आर ई (22 ए यू ए एवं 22 के यू ए) को अनुमति थी। यू आई डी ए आई ने स्वतंत्र रूप से (अक्टूबर 2020) किसी भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना को सत्यापित नहीं किया।

यू आई डी ए आई ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार (अक्टूबर 2020) किया एवं आश्वस्त किया कि यह आधार पारिस्थितिकी तंत्र में संस्थाओं (आर ई एवं ए एस ए) को सम्मिलित करने से पूर्व प्रपत्रों, आधारभूत तंत्र एवं तकनीकी समर्थन का गहन सत्यापन करेगा। इसमें कहा गया है कि इस तरह का सत्यापन यद्यपि, ए यू ए/ के यू ए की प्रकृति एवं प्रमाणीकरण सेवा को कार्यान्वित करने की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए यू आई डी ए आई के विवेक पर किया जाएगा। यू आई डी ए आई मौजूदा कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न बाधाओं को ध्यान में रखते हुए इसे यथासंभव लागू करने के उपाय भी आरंभ करेगा। एम ई आई टी वाई ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर यू आई डी ए आई के उत्तरों से सहमति व्यक्त की (जून 2021)।

इसलिए, यू आई डी ए आई को आधार प्रमाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र में आई एस सुरक्षा के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए संस्थाओं (आर ई एवं ए एस ए) को सम्मिलित करने से पूर्व प्रपत्रों, आधारभूत तंत्र एवं तकनीकी समर्थन के भौतिक सत्यापन के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए। लेखापरीक्षा यू आई डी ए आई के आधार पारिस्थितिकी तंत्र में संस्थाओं (आर ई एवं ए एस ए) के सम्मिलित होने से पूर्व प्रपत्रों, आधारभूत तंत्र एवं तकनीकी समर्थन का भौतिक सत्यापन करने के निर्णय की सराहना करता है। यद्यपि, किसी भी सत्यापन का संचालन नहीं करने के लिए विवेकाधीन शक्ति का उपयोग एक सुपरिभाषित मानदंड/

मानदंड द्वारा शासित किया जाना चाहिए एवं संस्थाओं के भौतिक सत्यापन से छूट केवल असाधारण प्रकरणों में, आई एस प्रयोजनों के हित में दी जा सकती है।

अनुशंसा: ***यू आई डी ए आई आधार पारिस्थितिकी तंत्र में संस्थाओं (अनुरोध करने वाली संस्था एवं प्रमाणीकरण सेवा संस्थाओं एस ए) को सम्मिलित करने से पूर्व प्रपत्रों, आधारभूत तंत्र एवं तकनीकी आधार की उपलब्धता के दावो का गहन सत्यापन कर सकता है।***

3.6 अन्य संबंधित लेखापरीक्षा प्रेक्षण

आधार नामांकन, अद्यतन एवं प्रमाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित विनियम के प्रावधानों एवं यू आई डी ए आई द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुपालन पर लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर पूर्वगामी पैराग्राफों में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। अन्य महत्वपूर्ण एवं संबंधित प्रेक्षणों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

3.6.1 डेटा अभिलेखीय नीति

यू आई डी ए आई संसार के सबसे वृहद बायोमेट्रिक डेटाबेस में से एक का अनुरक्षण कर रहा है; लेकिन उसके पास डेटा संग्रह नीति नहीं थी, जिसे एक महत्वपूर्ण भंडारण प्रबंधन हेतु सर्वोत्तम अभ्यास माना जाता है।

डेटा संग्रह सक्रिय रूप से लंबे समय तक प्रयोग नहीं आये डेटा को किसी अन्य संचयन उपकरण में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है जिससे उनका दीर्घ अवधि तक प्रतिधारण हो सके। संग्रह डेटा में पुराना डेटा होता है जो भविष्य के संदर्भ या नियामक अनुपालन कारणों से संगठन के लिए महत्वपूर्ण रहता है। यह भंडारण स्थान के कुशल उपयोग एवं निष्पादन में वृद्धि के लिए एक भंडारण प्रबंधन का श्रेष्ठकर अभ्यास है। यू आई डी ए आई संसार के सबसे वृहद बायोमेट्रिक डेटाबेस में से एक का अनुरक्षण कर रहा है एवं इसलिए एकत्र किए गए डेटा को संग्रहित करने की नीति बनाना संगठन के लिए महत्वपूर्ण है।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि आधार नामांकन प्रक्रिया के अंतर्गत, निवासियों की जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक सूचना वाले डेटा पैकेट गुणवत्ता जांच (क्यू सी), जनसांख्यिकी डी-डुप्लीकेशन, बायोमेट्रिक डी-डुप्लीकेशन, मैनुअल डी-डुप्लीकेशन (एम डी डी) आदि विभिन्न प्रक्रियाओं के अधीन हैं, जिससे त्रुटिपूर्ण/ डुप्लिकेट/ जंक पैकेटों की पहचान कर हटाया जा सके। लेखापरीक्षा ने देखा कि क्यू सी स्तर पर अस्वीकार किए गए पैकेट यू आई डी ए आई डेटाबेस में स्वीकृत पैकेटों के साथ विद्यमान थे। इसलिए जहां पैकेट डी-डुप्लीकेशन के कारण अस्वीकार कर दिए गए हैं, यू आई डी ए आई के पास एक ही निवासी के बायोमेट्रिक डेटा के एक से अधिक सेट होंगे -एक आधार संख्या के साथ सम्बद्ध एवं अन्य एक आधार संख्या (नया नामांकन अनुरोध) को छोड़कर सभी विवरणों के साथ होंगे एवं समस्त डेटा सी आई डी आर में रखा जाता है। किसी भी डेटा को संरक्षित रखने के लिए मूल्यवान संसाधनों की आवश्यकता होती है, इसलिए वैध एवं आवश्यक डेटा ही मात्र संग्रहीत किया जाना चाहिए। डेटा संग्रहण

नीति के अभाव में, यू आई डी ए आई बड़ी मात्रा में अनावश्यक/ अतिरिक्त डेटा को दीर्घ अवधि के लिए बनाए रखते एवं संरक्षित करता है।

एक सुदृढ़ डेटा अभिलेखीय नीति के साथ, यू आई डी ए आई जैसे संगठन के पास न केवल आवश्यकता पड़ने पर सभी वर्गों के डेटा तक पहुंच हो सकती है, बल्कि नियमित रूप से अनावश्यक डेटा का निस्तारित करके भंडारण के आकार को भी कम किया जा सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि यू आई डी ए आई एक डेटा अभिलेखीय नीति तैयार करे एवं इसे सख्ती से लागू करे। यू आई डी ए आई ने लेखापरीक्षा अनुशंसा से सहमति व्यक्त की (अक्टूबर 2020) एवं एक उपयुक्त डेटा संग्रह नीति तैयार करने की दिशा में कार्य करने का आश्वासन दिया। एम ई आई टी वाई (जून 2021) द्वारा भी लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर यू आई डी ए आई के उत्तरों से सहमति व्यक्त की गई|

अनुशंसा: ***यू आई डी ए आई, डेटा संरक्षण की भेद्यता के जोखिम को कम करने एवं अनावश्यक एवं अवांछित डेटा के कारण मूल्यवान डेटा स्थान की संतृप्ति को कम करने के लिए अवांछित डेटा को लगातार हटाने हेतु एक उपयुक्त डेटा अभिलेखीय नीति तैयार कर सकती है।***

3.6.2 आधार प्रपत्रों का वितरण

यू आई डी ए आई ने अंतिम बिन्दु तक आधार पत्रों के सफल वितरण को सुनिश्चित करने के लिए डाक विभाग के साथ अनुकूलित वितरण समाधान पर कार्य नहीं किया।

सफल नामांकन एवं अद्यतन के सभी प्रकरणों में यू आई डी ए आई द्वारा लैमिनेटेड रूप में आधार कार्ड मुद्रित एवं प्रेषित किये जाते हैं। डाक विभाग प्रथम श्रेणी मेल (साधारण डाक) के रूप में आधार पत्रों के वितरण हेतु लॉजिस्टिक भागीदार है। भारतीय डाक की साधारण डाक सेवाएं कोई व्यक्तिगत प्रेषण संख्या या ट्रैकिंग सुविधा प्रदान नहीं करती हैं।

चूंकि सरकार की 250 से अधिक कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार के माध्यम से पहचान की आवश्यकता होती है, इसलिए निवासियों के लिए इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार का होना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि आधार पत्र इच्छित व्यक्तियों को वितरित किए जाएं, एक प्रभावी वितरण तंत्र महत्वपूर्ण है। साथ ही आधार अधिनियम 2016 के अनुसार, आधार धारक की पहचान संबंधी सूचना की सुरक्षा के लिए यू आई डी ए आई उत्तरदायी है। डाक द्वारा आधार पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में, कोई व्यक्ति यू आई डी ए आई के परिवाद प्रकोष्ठ से संपर्क करके या ई-आधार डाउनलोड करके मूल आधार पत्र प्राप्त कर सकता है। यू आई डी ए आई ने दिसंबर 2018 में "आर्डर आधार पुनर्मुद्रण" (ओ ए आर) सेवा भी आरंभ की।

(छवि सौजन्य: यू आई डी ए आई)

लेखापरीक्षा ने पाया कि यू आई डी ए आई को अपने बेंगलुरु केंद्र में मार्च 2019 तक निवासियों को वितरित न होने के कारण 50 लाख आधार पत्र वापस मिले। निवासियों द्वारा भी यू आई डी ए आई परिवाद प्रकोष्ठ में शिकायते की है तथा आर टी आई अनुरोध भी किये है। आधार पत्रों का वितरण न होने की परिवाद किए गए।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न समाचार माध्यमों में भी निवासियों को वितरित किए बिना आधार पत्रों को वृहद मात्रा में डंपिंग/ छोड़ने पर प्रकाश डाला गया था।

चूंकि यू आई डी ए आई ने डाक विभाग से साधारण डाक सेवाओं का लाभ उठाया है, इसलिए वह पत्र पाने वाले द्वारा आधार कार्ड की भौतिक प्राप्ति को ट्रैक करने की स्थिति में नहीं था। भारतीय डाक के साथ आधार पत्रों के वितरण के उपायों के संबंध में किसी औपचारिक अनुबंध या अनुबंध ज्ञापन के अभाव में, यू आई डी ए आई द्वारा निर्गत किए गए आधार कार्ड के गोपनीयता पक्ष को सुनिश्चित नहीं किया गया।

यू आई डी ए आई ने (जुलाई 2020) सूचित किया कि 122 करोड़ से अधिक आधार पत्र सफलतापूर्वक वितरित किए गए हैं एवं आधार पत्रों का वितरण सुनिश्चित एवं सुदृढ़ करने के लिए डाक विभाग को नियमित रूप से संबोधित किया जा रहा है।

यू आई डी ए आई ने आगे (अक्टूबर 2020) सूचित किया कि उसने डाक विभाग से अनुरोध किया है कि वह आधार पत्रों के लिए एक अनुकूलित ट्रैकिंग प्रणाली विकसित करे ताकि उनके वितरण की निगरानी की जा सके एवं निवासियों को उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए उनके कर्मियों/ कर्मचारियों को संवेदनशील बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, यू आई डी ए आई ने निवासियों को अपना 'ई-आधार' डाउनलोड करने या आधिकारिक मोबाइल ऐप 'एम-आधार' का उपयोग करने के विकल्प के साथ सुविधा प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, यू आई डी ए आई ने निवासियों के लिए ऑर्डर आधार रि-प्रिंट (ओ ए आर) सेवा शुरू की (दिसंबर 2018) जिसके उपयोग से कोई भी आधार धारक प्रति आदेश ₹50 का भुगतान करके ऑनलाइन आधार पत्र आदेश कर सकता है एवं इसे डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। एम ई आई टी वाई (जून 2021) द्वारा भी लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर यू आई डी ए आई के उत्तरों से सहमति व्यक्त की गई।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने यू आई डी ए आई द्वारा की गई कार्रवाई को देखा लेकिन वे आधार पत्रों के वितरण के लिए एक अनुकूलित वितरण समाधान के लिए भारतीय डाक के साथ समझौता कर सकते थे। 'ई-आधार', 'एम-आधार' एवं 'ओएआर' जैसे विकल्पों की भी अपनी कई सीमाएँ हैं, जिसके लिए निवासियों को अतिरिक्त संसाधनों एवं प्रयासों की आवश्यकता होती है, जबकि लैमिनेटेड आधार पत्रों के डोरस्टेप वितरण का सभी क्षेत्रों के निवासियों के लिए अपना लाभ है। चूंकि बड़ी संख्या में आधार कार्ड/ पत्र वास्तव में निवासियों को वितरित नहीं किए गए थे, यह निर्गत किए गए आधार कार्डों की संख्या पर संदेह पैदा करता है। इस प्रकार यू आई डी ए आई को पहचान की सूचना की सुरक्षा के साथ निर्गत किए गए कार्डों के प्रभावी ढंग से वितरण सुनिश्चित करने के लिए अपने अंतिम बिन्दु वितरण तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए।

अनुशंसा: ***यू आई डी ए आई एक अनुकूलित वितरण मॉडल तैयार करके अपने लॉजिस्टिक भागीदार अर्थात् डाक विभाग के साथ वितरण समस्याओं का समाधान कर सकता है, जो सही पते पर आधार पत्रों का वितरण सुनिश्चित करेगा।***